न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12/97/2024 रजू दिनांकः 30.07.2024 रजि0 न0 2024/172

अपीलार्थीः–
श्री आमिर खान पुत्र श्री ताहिर खान, ए–234, बुद्व बिहार अलवर–301001, जिला अलवर (राज0)

प्रत्यर्थीः–
लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अति0 जिला कलेक्टर (द्वितीय) ,अलवर

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

––:: निर्णय ::––

दिनांकः– 12.08.2024

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 07.06.2024 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है, तो दिनांक 05.08.2024 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं नहीं आया तथा प्रत्यर्थी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रत्यर्थी ने जरिये पत्र कमांक लो0सू0अधि0/प्रथम अपील/2024/1499 दिनांक 01.08.2024 प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि अपीलार्थी द्वारा Online RTI Portal पर प्रस्तुत सूचना आवेदन कमांक 293361318275464 दिनांक 07.06.2024 के माध्यम से अलवर शहर स्थित राजकीय आवासों के संबंध में विविध बिन्दुवार सूचना चाही गई थी। वांछित सूचना के संबंध में इस लोक प्राधिकरण/लोक सूचना अधिकारी कार्यालय स्तर पर संबंधित अनुभाग से सूचना/जानकारी प्राप्त किए जाने पर, प्रभारी अधिकारी, सामान्य अनुभाग, अति0 जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर के पत्र सं0 सामान्य/आरटीआई/2024/1189 दिनांक 19.07.2024 के माध्यम से प्राप्त 15 पृष्ठीय विस्तृत सूचना Online RTI Portal Despatch No. 7357638537 Date 24.07.2024 के माध्यम से विनिश्चय किया जाकर अपीलार्थी को सूचित किया जा चुका है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रस्तुत जवाब के अवलोकन से स्पष्ट है कि वांछित सूचना के संबंध में विनिश्चय कर सूचना प्रेषित की जा चुकी है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है।
6. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है। साथ ही प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि सूचना का अधिकारी अधि0 2005 के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों का नियत समयावधि में विधिवत निस्तारण की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें, निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को पालनार्थ भिजवाई जावें।
7. निर्णय आज दिनांक 12.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
8. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)

(आशीष गुप्ता)
जिला कलक्टर अलवर
अलवर (राज0)